न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 18 / 2022
दायर दिनांक : 14 / 02 / 2022
निर्णय दिनांक : 11 / 02 / 2025

उनवान

1. नारायण पिता भंवरलाल कुमावत निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री सुरेशकुमार बाफना, अधिवक्ता वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती, खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि मौजा नान्दोली के हल्के बैरूनी में आ.सं. 397 कुल किता 22.14 है. स्थित है जिसमें से 1.05 है. पर वादी के परिवार का कब्जा सम्वत 2000–2001 से लगातार चला आ रहा है वादी के पिता भंवरलाल पिता धनराज कुमावत का कब्जा था उनकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा है और काश्त कर रहा है लगान भी वादी अदा कर रहा है वर्तमान में रेवेन्यू रिकार्ड में बिलानाम दर्ज है चारों ओर थोहर की बाड लगायी और काबिल काश्त बनाया। वादी के पिता का और उसके बाद वादी के परिवार का 30 वर्षो से अधिक समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा 91 ले.रे.एक्ट के नोटिस भी वादी के पिता को मिले तथा खसरा गिरदावरी में भी वादी के पिता का नाम दर्ज है अब वादी को मिल रहे हैं। बिलानाम होने से वादी सिंचाई के साधन कुआं व ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकता है जिस कारण कब्जे के आधार पर वादी के नाम पर दर्ज की जावे वर्तमान में आराजी पर कब्जा वादी का है और काश्त कर रहा है लगान भी वादी ने ही जमा कराया। प्रतिवादी राज्य सरकार है जिससे वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद अतिआवश्यक प्रकृति को होने से बिना नोटिस दिये ही 80 (2) जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 15.01.2022 से एवं [illegible] निरन्तर पैदा हो रहा है जब वादी को आराजी बिलानाम होने की जानकारी हुई जिससे वाद कारण [illegible] 1.2022 से एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है। आ.सं. 397 वादी के पिता [illegible] 1.05 है. जमीन दी गई इस योजना में 9 और व्यक्ति थे उन सभी के जमी[illegible]पर हो गई किन्[illegible] के पिता के बिलानाम दर्ज रह गई जिससे वादी के नाम पर रेवेन्यू में दर्ज की [illegible] आराजी नंबर 396 की जमाबंदी की नकल प्रस्तुत है। वादपत्र की ताईद में शपथपत्र प्रस्तुत है नाजायज कब्जे का नोटिस [illegible] को मिला जिससे 1.05 है. का मिला जिस पर वादी का कब्जा है, 30 वर्ष से अधिक समय से वादी व उसके परिवार का कब्जा चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि मौजा नान्दोली की आ.सं. 397 में से 5 बीघा 1.05 है. वादी को खातेदार घोषित किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे व आराजी से बेदखल न करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दिनांक 26.05.2022 को पेश कर जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कॉलम सं. 1 अस्वीकार है। ग्राम नान्दोली के हाल आ.सं. 397 रकबा 22.14 है. बिलानाम सरकार होकर कर ग्राम के पशुचराई (चारागाह) के रूप में उपयोग आ रही है। ग्राम नान्दोली में रिकार्डेड चारागाह दर्ज नहीं हो कर यही भूमि गांव के चारागाह के रूप में काम आ रही है। वादीगण का वर्ष 2000–2001 से लगातार कब्जा नहीं रहा है जब जब भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही कर उसी वर्ष बेदखल कर दिया गया था, कभी लगातार अतिक्रमण नहीं होने दिया। वादी उक्त राजकीय भूमि को अवैध रूप से हथियाना चाहता है, जो अस्वीकार है। वादी के पिता का या वादी 30 वर्षो से कोई लगातार कब्जा नहीं रहा। राजकीय भूमि पर कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर कुआं नहीं खोद सकता है। वादीगण के पक्ष में इन्द्राज दुरूस्ती का का मामला बनता ही नहीं है एवं प्रकरण कोई आवश्यक प्रकृति का भी नहीं है। वादी द्वारा धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस दिये बिना ही वाद प्रस्तुत किया है जो इसी स्तर पर खारिज योग्य है। वादी के पिता को नसबंदी कराने की एवज में कभी भूमि नहीं दी गई। अगर सरकार द्वारा भूमि दी गई होती तो रिकार्ड में अमल हो गया होता या वादीगण कोई इस प्रकार के आदेश प्रस्तुत करता। राजकीय भूमि जो गांव के पशुओं की चराई के रूप में काम आ रही है को अवैध तरीके से अपने नाम कराना चाहता है, जो विधि विरूद्ध होकर अस्वीकार है, अतः वाद खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर दिनांक 07.079.2022 को तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है :

1. आया वादी ग्राम नान्दोली के आ.सं. 397 में से 5 बीघा यानि 1.05 है. का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी हैं।

जिम्मे वादी

2. दादरसी

वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी में नारायण पिता भंवरलाल कुमाव पी. डब्ल्यू. 1, छगनलाल पिता दीपा गाडरी पी.डब्ल्यू. 2, मांगीदास पी.डब्ल्यू 3 के शपथपत्र पेश किये, शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी सम्वत 2080 की नकल प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत 2057 की नकल प्रदर्श 2, जमाबंदी सम्वत 2056 की नकल प्रदर्श 3, खसरा परिवर्तित सम्वत 2058 प्रदर्श 4, खसरा परिवर्तन संवत 2059 की नकल प्रदर्श 5, खसरा परिवर्तित सम्वत 2060 प्रदर्श 6, खसरा परिवर्तित सम्वत 2055 प्रदर्श 7, खसरा परिवर्तित सम्वत 2059 की नकल प्रदर्श 8, खसरा परिवर्तित सम्वत 2068 प्रदर्श 9, खसरा परिवर्तित सम्वत 2067 की नकल प्रदर्श 10, नकल जमाबंदी प्रदर्श 11, लगान की रसीदे प्रदर्श 12 से 16, धारा 91 के नोटिस प्रदर्श 17 से 20 पेश किये गये एवं मौखिक साक्ष्य नारायण पिता भंवरलाल कुमाव पी. डब्ल्यू. 1, छगनलाल पिता दीपा गाडरी पी. डब्ल्यू. 2 के बयान लेखबद्ध कराये। साक्ष्यवादी दिनांक 22.10.2024 को एवं साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 19.12. 2024 को बंदी की गई। प्रतिवादी की जिरह निल होकर बंद की गई।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक के तर्क वितर्क पर मनन किया एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में कायम तनकीयात उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 1 – उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी ने उक्त तनकी को साबित कराने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श एक से लगायत 20 तक दस्तावेज जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवादी पैरोकार सरकार के जवाब से उक्त दस्तावेजों का खण्डन होता है। जिससे उक्त तनकी वादी साबित कराने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः उक्त तनकी संख्या एक बहक प्रतिवादी ,खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

2– दादरसी –

वादी अपने जिम्मे की तनकी सं. 1 को साबित कराने में असफल रहा है, अतः वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों एवं पैरोकार सरकार के जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील उभय की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का वादी द्वारा साबित नहीं करा पाने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested